2019/00191

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

श्रीकांतिलाल उपाध्याय पुत्र श्री जगन्नाथ उपाध्याय
जाति ब्राह्मण
निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला सांतपुर, आबूरोड
तहसील आबूरोड जिला सिरोही

लोक सूचना अधिकारी
उप पंजीयन अधिकारी, आबूरोड

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 16 वर्ष 2019

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
02.07.2019	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 8.2.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि आपके कार्यालय द्वारा पट्टा सं. 29 दिनांक 14.2.81 मिसल सं. 67 दायर तिथि 27.12.1979 का पंजीयन दिनांक 17.2.2003 को किया गया था। उक्त पट्टे का पंजीयन करवाने हेतु कार्यालय ग्राम पंचायत सांतपुर के सरपंच श्री पकाराम द्वारा आपके कार्यालय में जो ओवदन पेश किया गया था उस प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 08.2.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि आपके कार्यालय द्वारा पट्टा सं. 29 दिनांक 14.2.81 मिसल सं. 67 दायर तिथि 27.12.1979 का पंजीयन दिनांक 17.2.2003 को किया गया था। उक्त पट्टे का पंजीयन करवाने हेतु कार्यालय ग्राम पंचायत सांतपुर के सरपंच श्री पकाराम द्वारा आपके कार्यालय में जो ओवदन पेश किया गया था उस प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी उप पंजीयन अधिकारी सांतपुर, आबूरोड का अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नही है। अतः क्षेत्राधिकार में नही है । अपीलांट की अपील परिपोषीय नही होने से अस्वीकार की जाती है। यदि अपीलांट चाहे तो सक्षम अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (सुरेन्द्र कुमार सोलंकी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner